छत्तीसगढ़ शासन

जनशक्ति नियोजन विभाग
संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण

रोजगार मेला

एक अभियान

निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में

स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान

करने हेतु

रोजगार मेला

पृष्ठभूमि :–

प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार ने शासकीय विभागों में भर्तियों पर लगे प्रतिबन्ध को हटा कर नौकरियों के द्वार खोल दिए हैं जिससे बड़ी संख्या में लोगों को शासकीय विभागों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहें हैं।

परन्तु प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों की उपस्थिति को देखते हुए सीमित उपलब्धता में शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा है, जो समस्त बेरोजगारों के लिए पूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। वर्तमान में प्रदेश के निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के 92 % अवसर उपलब्ध है, क्योंकि राज्य स्थापना के उपरांत बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किये हैं।

निजी क्षेत्रों मे रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्रदान करने की शासन की मंशा को कार्यरूप में परिणित करना, जनशक्ति नियोजन विभाग अंतर्गत स्थापित रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस अभिनव कार्यक्रम को रोजगार मेला के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में जाना जा रहा है।

I- क्या है रोजगार मेलाः–

रोजगार मेला एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां रोजगार प्रदाता नियोजक एवं रोजगार इच्छुक आवेदक के मध्य जीवंत संपर्क एक ही स्थल पर स्थापित किया जाता है, और यह प्लेटफार्म जिला रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार मेले स्थल के रुप में स्थापित इस प्लेटफार्म पर नियोजक अपने मापदंडों अनुसार स्वतंत्र रूप से योग्य उम्मीद्वारों का चयन करता है, वहीं रोजगार इच्छुक आवेदक भी अपनी योग्यता अनुसार नियोजन प्रतिष्ठानों का चयन स्वतंत्रता पूर्वक करता है। **यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी,समयबद्ध एवं स्वतंत्र होती है।**

II-रिक्तियों की पूर्ति संबंधी शासकीय नीतियां एवं अधिनियम :–

निजी क्षेत्र के औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिष्ठानों की रिक्तियों की पूर्ति स्थानीय युवाओं के माध्यम से किये जाने विषयक राज्य एवं केन्द्र सरकार ने पूर्व में ही स्पष्ट नीति एवं अधिनियम बनाये है। निजी क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों के लिए शासन के नियमों अधिनियमों का पालन किया जाना भी अनिवार्य होता है। छत्तीसगढ़ शासन ने अपनी नई औद्योगिक नीति में तथा भारत सरकार ने सम्पूर्ण देश हेतु लागू **रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों संबंधी अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959** के द्वारा रिक्तयों की पूर्ति विषयक प्रावधान बनाए है। उक्त दोनों ही नीति एवं अधिनियम में स्थानीय लोगों की भर्ती किया जाने संबन्धी स्पष्ट प्रावधान किये गये है। सुलभ संदर्भ हेतु तत्संबन्धी प्रावधानों को निम्नानुसार उल्लेखित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति के प्रावधानः–

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति में शासन द्वारा स्थानीय युवाओं के लिए किये गये स्पष्ट प्रावधान निम्न प्रस्तुत हैः–

- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान/छूट/रियायतें उन्हीं औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध होगी जो अकुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 90% कुशल श्रमिकों के मामले में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50% तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करें।
- राज्य के मूल निवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु मेगा उद्योगों को राज्य के तकनीकी एवं प्रबंधकीय संस्थानों में कैम्पस सलेक्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों संबंधी अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959(CNV Act.) के प्रावधानः–

- भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित इस एक्ट की धारा 4 (1) एवं 4 (2) के द्वारा निजी क्षेत्र के समस्त नियोजन प्रतिष्ठानों के लिए जिनमें 25 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसे नियोजन प्रतिष्ठान अपने स्थापना में होने वाली रिक्तियों की अधिसूचना अनिवार्यतः स्थानीय रोजगार कार्यालय को देंगें।
- उक्त प्रावधान का उल्लंघन करने की दशा पर CNV एक्ट की धारा 7 (1) अन्तर्गत उल्लंघनकर्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध दंड़ का प्रावधान किया गया है।

शासन के समक्ष वर्तमान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों का पालन राज्य के निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार इन त्रुटियों पर अत्यंत गंभीर है तथा स्थानीय युवाओं के निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान करने हेतु पूर्णतया कृतसंकल्पित है। अतः शासन की मंशा की पूर्ति रोजगार मेलों के आयोजनों के माध्यम से किये जाने का प्रयास जारी है, जिसमें निजी क्षेत्रों का व्यापक सहयोग एवं समर्थन आवश्यक है।

III-रोजगार मेला एक लाभप्रद विकल्प (नियोजकों एवं रोजगार इच्छुकों के लिए):–

रोजगार मेला रोजगार प्रदाता नियोजक एवं रोजगार इच्छुक आवेदक दोनों के लिए ही सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि यह पारदर्शी एवं त्वरित प्रक्रिया है। रोजगार मेले के माध्यम से जहां नियोजक अनेक आवेदकों में से सर्वोत्तम का चुनाव त्वरित रूप से कर सकता है, वही रोजगार इच्छुक आवेदक भी उपलब्ध अनेक विकल्पों में से इच्छानुसार रोजगार प्रतिष्ठान का चयन कर सकता है।

..3...

नियोजकों के लिए लाभ :–

रोजगार मेले से नियोजकों को होने वाला प्रत्यक्ष लाभ निम्न है:–

- नियोजकों को अपनी रिक्तियों के विज्ञापन में लगने वाले व्यय से मुक्ति मिलती है, साथ ही विज्ञापन के फलस्वरूप आने वाले आवेदन पत्रों पर श्रम साध्य कार्यवाही से भी मुक्ति मिलती है।
- विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ढेरों आवेदनों में से उचित आवेदक के चयन हेतु लगने वाले दीर्घ कालिक प्रक्रिया से बचाव होता है। रोजगार मेले पर नियोजक यही कार्य त्वरित रूप से कर सकता है, क्योंकि मेले स्थल पर नियोक्ता का आवेदक से जीवंत संपर्क स्थापित होता है।
- रोजगार मेले में चयन प्रक्रिया पूर्णतः स्वतंत्र, पारदर्शी एवं नियोजक द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होती है। इसमें किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होता है।
- मेले के माध्यम से स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती है। जिससे नियोजन प्रतिष्ठान की छबि आम जन मानस के मध्य उज्जवल होती है, जो जनता के मध्य प्रतिष्ठान की संवेदनशीलता को प्रगट करती है।
- स्थानीय लोगों की भर्ती से जनता एवं प्रतिष्ठान के मध्य सौहार्दपूर्ण वातातरण हमेशा बना रहता है, जो किसी भी प्रतिष्ठान के उन्नति में हमेशा सहायक बनती है।
- शासन द्वारा आयोजित रोजगार मेलों से रिक्तियों की पूर्ति होने से शासकीय अधिनियमों का पालन भी सुनिश्चित होता है, जो नियोजकों पर नियम उल्लंघन के कारण होने वाली शासकीय कार्यवाहियों से मुक्ति प्रदान करता है।

रोजगार इच्छुकों के लिए लाभः–

रोजगार मेला रोजगार इच्छुक आवेदकों के लिए भी वरदान है, क्योंकि

- आवेदकों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी एक ही स्थल पर निःशुल्क प्राप्त होती है।
- उन्हें आवेदन पत्र भरने, विभिन्न दस्तावेजों को तैयार करने में लगने वाले व्यय इत्यादि से मुक्ति प्राप्त होती है।
- आवेदकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए एक ही स्थल पर अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ के चयन संबंधी छूट स्वयं आवेदक का होता है।

IV - अब तक आयोजित रोजगार मेलों की उपलब्धियां:–

प्रदेश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन श्रंखलाबद्ध रूप से किया जा रहा है । **अब तक जांजगीर, रायगढ़ तथा दुर्ग शहर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है।** इन मेलों में बड़ी संख्या में रोजगार सहायता इच्छुक आवेदक उपस्थित हुए तथा प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण नियोजकों ने इन मेलों में अपनी सहभागिता देते हुए रिक्तियों की पूर्ति रोजगार मेलों के माध्यम से की है, जिनमे जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, रायगढ़, सिम्पलेक्स इंडस्ट्री भिलाई, बीइसी भिलाई, जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा एस0बी0आई0 लाइफ, बजाज एलायन्स, रिलायन्स इंशोरेंस, भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे बड़े सेवा प्रतिष्ठान भी सम्मिलित है।

04 जनवरी 2011 तक प्रदेश में आयोजित रोजगार मेलों की जानकारी

क्रमांक	रोजगार मेला आयोजन स्थल के नाम	मेला आयोजन की तिथि	मेले में उपस्थित आवेदकों की लगभग संख्या	मेले में उपस्थित नियोजकों की लगभग संख्या	मेले हेतु अधिसूचित रिक्तियों की लगभग संख्या	दिनांक 04.01.2011 तक की गई नियुक्तियों की लगभग संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जांजगीर शहर	12.06.2010	15000	14	1830	2122	नियोजकों द्वारा पदों की पूर्ति संबंधी कार्यवाही वर्तमान में भी जारी है, नियुक्ति की संख्या में और वृद्धि संभावित है।
2	रायगढ़ शहर	06.09.2010	17000	30	2400	2300	
3	दुर्ग शहर	20.10.2010	19025	41	3082	1067	
4	कवर्धा शहर	24.12.2010	20000	20	5000	4000	
5	रायपुर शहर	04.01.2011	26000	40	8535	3000	
योग			**97025**	**145**	**20847**	**12489**	

वित्तीय वर्ष 2010–11 के आगामी रोजगार मेलों का विवरण

क्र.	आयोजन स्थल के नाम	संभावित तिथि	मेला स्थल	समय
1	2	3	4	5
1	राजनांदगांव शहर	31 जनवरी 2011	स्टेट हाईस्कूल परिसर	प्रातः 9:00 से सायं 5:00 बजे तक
2	कोरबा शहर	06 फरवरी 2011	**ओपन थियेटर घंटाघर चौक**	**प्रातः 9:00 से सायं 5:00 बजे तक**
3	अंबिकापुर शहर (संभावित)	–	–	–

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि रोजगार मेलों को प्रदेश में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है, इन मेलों के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार इच्छुकों को रोजगार प्राप्त हुआ है जो शासन की एक बड़ी उपलब्धि है। आशा है कि भविष्य में आयोजित किए जाने वाले आगामी मेलों के माध्यम से **15 हजार से अधिक लोगों को सीधा रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।**

V- रोजगार मेला संबंधी प्रक्रियागत निर्देश एवं निर्धारित प्रपत्रः–

(i) नियोजकों के लिए प्रक्रियागत निर्देश

रोजगार मेला रिक्तियों की पूर्ति के लिए एक त्वरित प्रक्रिया है जहां बड़ी संख्या में उपस्थित आवेदकों में से सवोत्तम आवेदक का चयन पारदर्शी तरीके से समय सीमा के भीतर करना होता है, इसके लिए आवश्यक है कि नियोजन निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखें।

- नियोजक अपने प्रतिष्ठान की रिक्तियां मेले आयोजन तिथि से पूर्व निर्धारित समय सीमा पर रोजगार कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

  इस प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–1 में संलग्न है।
- रिक्तियों संबंधी जानकारी रोजगार कार्यालयों को रोजगार मेले आयोजन तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए जिससे उन रिक्तियों के विरूद्ध योग्य आवेदकों सूचित करने हेतु रोजगार कार्यालयों को समुचित समय प्राप्त हो सके।
- मेले आयोजन के दिन नियोजक स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मेले स्थल पर भर्ती संबंधी कार्यवाही/साक्षात्कार पूर्ण करेगा।
- साक्षात्कार के लिए नियोजक प्रतिष्ठान को साक्षात्कार कक्ष फर्नीचर सहित मेले स्थल पर आयोजक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में रोजगार इच्छुकों की उपस्थिति रहती है। किसी भी आवेदक को सीमित संख्या में अर्थात अधिकतम दो अवसर साक्षात्कार हेतु प्राप्त होता है, अतः आवेदक की संतुष्टि के लिए यह आवश्यक होगा की उनका साक्षात्कार अवश्य संपादित किया जाये। जो तभी संभव है जब साक्षात्कार प्रक्रिया त्वरित गति से सम्पन्न की जाये तथा नियोजक के समक्ष उपस्थित किसी भी आवदक को साक्षात्कार से वंचित न किया जाये।
- रोजगार मेले में रिक्तियां मूलतः दो प्रकृति की होती है। कुछ पदो पर चयन विषयक निर्णय उसी दिन लिए जा सकते है जबकि कुछ पदों पर अंतिम चयन से पूर्व आवेदक की ज्ञान विषयक दक्षता की जांच की जानी होती है। ऐसे पद सामान्यतः तकनीकी प्रकृति के होते है। इन तकनीकी श्रेणी की रिक्तियों के चूंकि मेले स्थल पर तकनीकी ज्ञान विषयक कौशल परीक्षा का आयोजन हमेशा संभव नहीं होता है, अतः इस प्रकार की दक्षता परीक्षा का आयोजन नियोजक मेला तिथि के उपरांत पर अपने वर्कशाप/कार्यालय पर सुविधानुसार कर सकता है।
- रोजगार मेले की मुख्य विशेषता इसकी त्वरित चयन प्रक्रिया है। जिसमें आवेदकों को मेले स्थल से ही चयन विषयक सूचनाओं से अवगत करवाना होता है, जो किसी रोजगार मेले की प्रारंभिक सफलता मानी जाती है। अतः ऐसे पदों के लिए जिनके लिए किसी प्रकार के कौशल परीक्षा की अनिवार्यता नही होती है, उन पदो के परिणाम मेले समाप्ति के पश्चात उसी दिन जिला रोजगार अधिकारी के द्वारा घोषित किये जाते हैं, अतः नियोजक ऐसे चयनित आवेदकों की सूची मेले तिथि को ही जिला रोजगार अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

  इस प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

- जिन पदों के लिए कौशल परीक्षा आवश्यक है, उन पदों हेतु सर्वप्रथम मेले तिथि पर आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया जाये तथा आवेदकों को आगामी चरण में ली जाने वाली कौशल परीक्षा की तिथि तथा कौशल परीक्षा का स्थल एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम नियोजक द्वारा मेले स्थल पर ही आवेदकों को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा, तथा 7 दिवस के भीतर कौशल परीक्षा अपने स्तर पर आयोजित किया जाकर अंतिम चयन परिणाम जिला रोजगार अधिकारी को 15 दिवसों के भीतर नियोजक द्वारा प्रदान किया जायेगा।

इस प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–3 एवं 4 में संलग्न है।

निर्देश:–

नियोजकों के लिये:–

नियोजकों से निवेदन है कि अपनी रिक्तियों की जानकारी प्रपत्र–**A** में भरकर संबंधित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में आयोजन तिथि से 7 दिन पूर्व भेजें।

आवेदकों के लिये:–

आवेदक आवेदन पत्र 2 विधियों से प्राप्त कर सकते हैं:–

1. उसी जिले के निवासी आवेदक जहॉ मेले का आयोजन हो रहा है आवेदक संबंधित रोजगार कार्यालय अथवा जनपद पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।
2. मेले आयोजित किये जाने वाले जिले के अतिरिक्त अन्य जिले के आवेदक मेले स्थल से अथवा प्रपत्र– **E** को डाउनलोड कर मेले स्थल पर उपस्थित हो सकेंगे।

नोटः– अधिक जानकारी संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण ''रोजगार पक्ष'' की वेबसाइट http://cg.nic.in/cgemployment से प्राप्त की जा सकती है।

FORM-A
(Vacancy Notification Form)

ROJGAR MELA.............

Date --------------------------------

1.	**Information Related to Employer**		
A.	**Name of Employer**	**:-**	
B.	**Address of Employer**	**:-**	
C.	**Contact Number**	**:-**	
D.	**E-Mail Address of Employer**	**:-**	
E.	**Name of *Person* to be Contacted**	**:-**	
	I. Designation	**:-**	
	II. Mobile Number	**:-**	

2. Information Related to Vacancies

SL	Designation	No. of Vacancy	Qualification	Experience	Salary	Place of Posting

3. Any Other Relevant Information :-

Seal and Signature of the Employer

परिशिष्ट–2

प्रपत्र–B

(प्रपत्र जो नियोजक द्वारा रोजगार मेला तिथि पर मेला स्थल पर चयनित उम्मीद्वारों के चयन परिणाम दर्शाता है)

नियोक्ता संस्थान का नाम एवं पता..

साक्षात्कार हेतु उपस्थित एवं चयनित आवेदकों की सूची

(मेला तिथि को सायं 5:00 बजे के पश्चात् नियोजक द्वारा घोषित किये जाने वाले चयन परिणाम)

नियोक्ता का नाम एवं पता :– ....

पद का नाम :– ....
(जिसके लिए साक्षात्कार लिया गया)

स0क0	आवेदक का नाम एवं पता	रोजगार कार्यालय का पंजीयन कमांक	आवेदक का फोन नं /मोबाईल नं0 (यदि हो तो)	चयन परिणाम		
				चयनित	अचयनित	कौशल परीक्षा हेतु चयनित
1	2	3	4	5	6	7

नोट : सूची मेले समाप्ति पर जिला रोजगार अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

नियोजक के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट –3

प्रपत्र–C

(प्रपत्र जो कौशल परीक्षा हेतु चयनित उम्मीद्‌वारों की सूची तथा कौशल परीक्षा की तिथि एवं स्थल की जानकारी देता है)

स0क्र0	आवेदक का नाम एवं पता	रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक	आवेदक का फोन नं /मोबाईल नं0 (यदि हो तो)	कौशल परीक्षा की तिथि	परीक्षा स्थल	आवेदक के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

नियोक्ता संस्थान का नाम एवं पता..

नोट : कौशल परीक्षा की सूचना आवेदकों को दी जाकर उनका हस्ताक्षर लिया जाए एवं सूची मेले समाप्ति पर जिला रोजगार अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

नियोजक के हस्ताक्षर एवं सील

परिशिष्ट –4

प्रपत्र–D

(प्रपत्र जो नियोक्ता द्वारा अंतिम रूप से चयनित किए गए आवेदकों की जानकारी प्रदान करता है)

नियोक्ता संस्थान का नाम एवं पता...

स0 क्र0	आवेदक का नाम एवं पता	रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक	आवेदक का फोन नं /मोबाईल नं0 (यदि हो तो)	पदनाम जिस हेतु नियुक्ति प्रदान की गई	वेतनमान	नियुक्ति स्थल	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट : अंतिम चयन परिणाम की सूचना नियोजक को 15 दिवसों के भीतर जिला रोजगार अधिकारी को देना होगा।

नियोजक के हस्ताक्षर एवं सील

(ii) आवेदकों एवं मैदानी कार्यालयों के लिए निर्देशः–

रोजगार मेला रोजगार इच्छुकों को त्वरित रूप से रोजगार प्रदान करने का साधन है। इस हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक प्रपत्र का निर्धारण संचालनालय स्तर पर किया गया है। जिस जिले में रोजगार मेला आयोजित किया जाना है, उस जिले के रोजगार कार्यालय द्वारा आवेदन पत्रों को मुद्रित कर रोजगार कार्यालय के माध्यम से तथा विकासखण्ड स्तर पर वितरित करना संबंधित जिले के जिला रोजगार अधिकारी का दायित्व है। जिला रोजगार अधिकारी आवेदन पत्रों की पर्याप्त संख्या मेले हेतु निर्धारित पालियों के आधार पर पर्याप्त संख्या में मुद्रित करें, तथा मेले आयोजन की तिथि से पूर्व ही वितरण सुनिश्चित करें। आयोजन स्थल पर ही पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र आवेदकों हेतु उपलब्ध होना चाहिए। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्न दस्तावेज के साथ रोजगार कार्यालय अथवा विकासखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदकों द्वारा लाये जाने वाले दस्तावेजः–

- आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए –

रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कार्ड।
छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र।

1. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कार्ड।
2. छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र।
3. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र।
4. अनुभव प्रमाणपत्र (यदि कोई हो तो)
5. दो पासपोर्ट साईज फोटो।

मेले आयोजन वाले जिले के आवेदक जिन्होंने आवेदन पत्र रोजगार कार्यालय/विकासखण्ड कार्यालय से प्राप्त किया है उनके आवेदन पत्र में आवेदन पत्र का क्रमांक तथा मेले में प्रवेश हेतु निर्धारित समय का उल्लेख आवेदन पत्र के उपर दर्ज होगा। निर्धारित समय एवं क्रमांक के आधार पर मेले में साक्षात्कार की प्रक्रिया की जावेगी। कार्यालय को इस बारे में आवेदकों को पर्याप्त रूप से शिक्षित किया जाना आवश्यक होगा। बाह्य जिले के आवेदक मेले स्थल पर बने काउंटर से उपर्युक्त उल्लेखित दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने पर मेले में प्रवेश संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार कक्ष पर आवेदक अपना बायोडाटा फार्म नियोजक के समक्ष जमा करेगा । एवं मेले समाप्ति पर चयन परिणाम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

(आवेदकों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट– 5 में प्रस्तुत है।)

परिशिष्ट– 5

प्रपत्र–E

रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रं. ....
रोजगार कार्यालय का नाम ....

आवेदन पत्र क्रमांक ....
प्रवेश हेतु समय ....

रोजगार मेला दिनांक ....हेतु आवेदन पत्र

स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
....
4. मोबाइल/फोन नंबर : ....
5. जन्म तिथि : ....
6. संवर्ग (अजा/अजजा/अपिव/सामान्य) : ....
7. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	संस्था	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	10 वीं					
2.	12 वीं					
3.	स्नातक					
4.						
5.						

8. कार्य अनुभव (यदि हो तो)

क्र.	पदनाम	नियोक्ता का नाम एवं पता	अवधि (कब से कब तक)	अंतिम प्राप्त वेतन (प्रतिमाह)

9. अन्य कोई जानकारी (जो आपके चयन में सहायक हो सकता है) : ....
....

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर